सहखातेदारी की भूमि है जिसके सम्बन्ध
में वाद विचाराधीन है वाद का निस्तारण
पक्षकारान द्वारा पेश साक्ष्य सबूतों के आधार
पर एवं गुणावगुण के आधार पर होगा। तब
तक विवाद न बढ़े इस हेतु मूल वाद
के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा
जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता
है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि पर
इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा
मूल वाद के निस्तारण तक जारी की
जाती है कि सभी पक्षकारान राजस्व
रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं
निर्माण कार्य नहीं करें। पत्रावली फैसल
शुमार हो कर नम्बर से कम हो।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला–राजसमन्द